

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर।

कार्यालय आदेश सं०- 47/NG/2020/Med./SPJ

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-E(NG)II/2005/RC-4/SC/2, दिनांक 18.03.2020 के आलोक में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-202/NG/2019/Med./SPJ, दिनांक 01.04.2020 द्वारा चिकित्सा विभाग में संविदा पर कार्यरत/तैनात निम्नलिखित पारा मेडिकल स्टाफ की संविदा की अवधि दिनांक 30.09.2020 तक विस्तारित की गई थी।

अब रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- E(NG)II/2005/RC-4/SC/2/Pt.-I, दिनांक 01.07.2020 के आलोक में इन लोगों की संविदा अवधि दिनांक 31.12.2020 तक विस्तारित की जाती है। ये पूर्व के शर्तों से शासित होंगे।

क्रम सं०	नाम	पिता का नाम	पदनाम/कार्यस्थल	निर्धारित मानदेय
01.	श्री शशि उज्ज्वल	स्व० लक्ष्मी नारायण शय	सहायक केमिस्ट/सम. लेबल-5	29200+अन्य भत्ता
02.	सुश्री किरण कुमारी	श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता	फार्मासिस्ट/बापूधाम मोतिहारी, लेबल-5	29200+अन्य भत्ता
03.	सुश्री ज्योति कुमारी	श्री विशुन देव शर्मा	फार्मासिस्ट/समस्तीपुर लेबल-5	29200+अन्य भत्ता

उपरोक्त मुचिधि/समस्तीपुर द्वारा अनुमोदित है।

(आर.आर.लकड़ा)

मकाधि

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)

समस्तीपुर।

दिनांक 23.09.2020

सं०-का/227/पारा मेडिकल/IV/07/Pt.-I

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर
2. महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर।
3. मुचिधि/समस्तीपुर-कृपया रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. वमविप्र/समस्तीपुर।
5. मुचिधि/समस्तीपुर एवं बापूधाम मोतिहारी।
6. मुकार्याधि/विविध बिल कार्यालय में।
7. संबंधित कर्मचारी।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओ.बी.सी. एवं अजा.-अजजा. एशोसिएशन/समस्तीपुर मंडल।
9. अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर